न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 02/2015 – रेफरेन्स

1 राजस्थान सरकार बनाम जरिए तहसीलदार माण्डलगढ	1. श्री देबी पिता पन्ना रेगर निवासी आल्या तहसील माण्डलगढ 2. रतनी पत्नी देबी रेगर निवासी आल्या तहसील माण्डलगढ 3. प्यारा पिता पन्ना रेगर निवासी आल्या तहसील माण्डलगढ 4. हरकू पत्नी प्यारा रेगर निवासी आल्या तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
–प्रार्थी	–विपक्षीगण

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
रेफरेन्स प्रस्तुति बाबत्

उपस्थित –
1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही ।

निर्णय

दिनांक 04.06.2018

यह प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के प्रकरण सं. /रेफरेन्स/एलआर/2689/2007/भीलवाडा निर्णय दिनांक 14.09.2012 से प्राप्त होकर रेफरेन्स आंशिक स्वीकार कर इस दिशा निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण करा रेफरेंस प्रस्तुत किया जावे ।

रेफरेंस के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी तहसीलदार माण्डलगढ ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गोठ तहसील माण्डलगढ में स्थित साबिक आराजी नम्बर 89/1 रकबा 2.03 बीघा भूमि जो शीतलामाताजी स्थानदेह के खाते में अभिलिखित होकर खुदकाश्त दर्ज रिकार्ड थे जो जमाबंदी संवत् 2010 से 2013 को देखने से सिद्व है। नवीन बन्दोबस्त के दौरान उक्त आराजी भू भाग के नवीन खसरा नम्बर 123 रकबा 3.11 बीघा कायम कर सिवायचक बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया, जो बाद में भू आवंटन से विपक्षीगण के नाम आवंटन होकर राजस्व अभिलेख में अंकित किया गया हैं । प्रश्नगत आराजी भू भाग गत अभिलेख में शीतलामाताजी स्थानदेह की होकर मंदिर मूर्ति की भूमि थी । मंदिर मूर्ति की भूमि को भू प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी आधार के सिवायचक बिलानाम अभिलिखित किया गया, जो नियमों के विरूद्व है। इस प्रकार मंदिर मूर्ति की भूमि निजी व्यक्तियों के खाते में अभिलिखित कर नियमों का उल्लघंन किया गया हैं। प्रार्थी अपने प्रार्थनापत्र की पुष्टि में राजस्व अभिलेखों की प्रतियां प्रस्तुत कर विवादित आराजी भू भाग को पुनः राजस्व

अभिलेख में शीतलामाताजी स्थानदेह के नाम अभिलिखित कराने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेंस प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 14.09.2012 में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह परीक्षण किया जावे कि विवादित आराजी नं. 89/1 रकबा 2.03 बीघा ग्राम गोठ तहसील माण्डलगढ स्थित होकर शीतलामाताजी स्थान देह के खाते में अभिलिखित होकर खुदकाश्त दर्ज थी, जो जमाबन्दी संवत् 2010–2013 अंकित होकर नवीन बन्दोबस्त के दौरान उक्त आराजी भू भाग के नवीन खसरा सं. 123 रकबा 3.11 बीघा कायम होकर सिवायचक बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गयी । रेफरेंस के साथ संवत् 2013 के बाद का कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह सिद्ध नहीं होता कि संवत् 2028 तक यह भूमि किसके खातेदारी की रही थी । संवत् 2028 में सरकारी भूमि किस आधार पर दर्ज कर दी गयी थी ? और आवंटन दिनांक 04.06.2002 को हुआ हैं, उस समय भूमि सिवायचक दर्ज थी उसमें आवंटन अधिकारी ने क्या गलती की थी ? रेफरेंस में इसका उल्लेख नहीं होने जैसे कारणों का हवाला देते हुए रेफरेंस अपूर्ण होने से आंशिक स्वीकार किया जाकर मामले में पुनः समुचित रूप से जांच की जाकर बाद जांच के पूर्णरूप से रेफरेंस प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 06.04.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण मे प्रार्थी की ओर से तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा प्रतिवेदन क्रमांक 49 दिनांक 05.01.2018 प्रस्तुत किया एवं विपक्षीगण के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गयी। प्रकरण में प्रार्थी पैरोकार की बहस सुनी गई।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन करने से ग्राम गोठ तहसील माण्डलगढ के साबिक आराजी नं. 89/1 रकबा 2.03 बीघा भूमि जमाबंदी संवत् 2010–2013, 2014–2017, 2018–2021, 2022–2025 में शीतलामाताजी स्थान देह के नाम पर दर्ज थी। संवत् 2026 से 2027 सेटलमेण्ट ऑपरेशन चलने से जमाबन्दी तैयार नही की गयी। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन बन्दोबस्त के पश्चात् सवंर्त 2028–2031 की जमाबंदी में आराजी नं. 123 रकबा 3.11 बीघा किस्म बंजड सिवायचक में दर्ज है। उक्त भूमि संवत् 2034–2037, 2039–2042, 2043–2046, 2047–2050, 2051–2054, 2055–2058 मे सिवायकचक बिलानाम दर्ज रही। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी आदेश के ग्राम गोठ तहसील माण्डलगढ में स्थित साबिक आराजी नं. 89/1 रकबा 2.03 बीघा के नवीन खसरा नं. 123 रकबा 3.11 बीघा कायम किये जाकर सिवायचक बिलानाम दर्ज कर दी गयी। बिलानाम दर्ज होने से उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ ने दिनांक 04.06.2002 को विपक्षीगण को भूमि का आवंटन किये जाने से विपक्षीगण के खाते में उक्त भूमि अभिलिखित की गयी। जमाबंदी संवत् 2059–2062 के मध्य नामान्तरकरण सं. 299 दिनांक 28.06.2004 से आराजी नं. 123 में से देवी पिता पन्ना, रतनी पत्नी देवी रेगर साकिन आलिया के नाम आवंटन से आराजी नं. 250/123 रकबा 1.11 बीघा गैर खातेदारी से दर्ज हुयी एवं नामान्तरकरण सं. 300 दिनांक 15.07.2004 से आराजी सं. 123 रकबा 2.00 बीघा भूमि प्यारा पिता पन्ना , हरकू पत्नी प्यारा रेगर साकिन आलिया के नाम गैर खातेदारी से दर्ज हुयी। तत्पश्चात् उक्त भूमि

जमाबंदी संवत् 2063–2066, 2067–2070, 2071–2074 में उक्त गैर खातेदारों के नाम दर्ज चली आ रही है। इस प्रकार मंदिर/मूर्ति की भूमि को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिलानाम दर्ज किया जाना विधि विरूद्व है। भू प्रबन्ध विभाग के खसरा संवत् 2022 के अनुसार बन्दोबस्त विभाग ने ग्राम गोठ तहसील माण्डलगढ के साबिक आराजी नं. 89/1 रकबा 2.03 बीघा भूमि शीतलामाताजी स्थान देह के नाम की भूमि को बिना किसी आधार के हाल रिकार्ड में आराजी नं. 123 रकबा 3.11 बीघा भूमि सिवायचक बिलानाम दर्ज कर दी गयी। इस बिलानाम भूमि को देवी पिता पन्ना, रतनी पत्नी देवी रेगर साकिन आलिया एवं प्यारा पिता पन्ना, हरकू पत्नी प्यारा रेगर साकिन आलिया को उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ द्वारा दिनांक 04.06.2002 को आवंटन कर दी गयी जो अपास्त होने योग्य हैं।

रिपोर्ट पटवारी हल्का खाचरोल दिनांक 04.06.2018 के अनुसार ग्राम गोठ तहसील माण्डलगढ में वर्तमान में 132 फीट की जरीब चलन में है, इससे पहले गत सेटलमेण्ट में 152.5 फीट की जरीब चलन में थी। शीतलामाता के नाम साबिक आराजी नं. 89/1 रकबा 2.03 बीघा का रकबा जरीब परिवर्तन से वर्तमान में 2.17 बीघा दर्ज होगा।

अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रतिवेदन स्वीकार योग्य ठहराते हुये ग्राम गोठ तहसील माण्डलगढ के साबिक आराजी नं. 89/1 रकबा 2.03 बीघा हाल रकबा 2.17 बीघा भूमि के मुकाबले हाल आराजी नं. 250/123 रकबा 1.11 बीघा एवं आराजी नं. 123 में से 1.06 बीघा कुल 2.17 बीघा भूमि के भू भाग को विपक्षीगण के खाते से हटाया जाकर भूमि पुनः मंदिर/मूर्ति शीतलामाताजी स्थानदेह के नाम अभिलिखित करवाने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस प्रस्तुत किया जाना युक्तियुक्त हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार माण्डलगढ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रतिवेदन स्वीकार करते हुये ग्राम गोठ तहसील माण्डलगढ में स्थित साबिक आराजी नं. 89/1 रकबा 2.03 बीघा के नवीन खसरा नं. 123 रकबा 3.11 बीघा कायम किये जाकर भू प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी आधार के सिवायचक बिलानाम दर्ज कर देने से विपक्षीगण को भूमि का आवंटन होकर उसके खाते में अभिलिखित किया गया। मंदिर/मूर्ति की भूमि को निजी व्यक्तियों के खाते में अभिलिखित करना नियमों के विरूद्व हैं। अतः रेफरेन्स प्रतिवेदन माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि ग्राम गोठ तहसील माण्डलगढ में स्थित साबिक आराजी नं. 89/1 रकबा 2.03 बीघा हाल रकबा 2.17 बीघा भूमि के मुकाबले हाल आराजी नं. 250/123 रकबा 1.11 बीघा एवं आराजी नं. 123 में से 1.06 बीघा कुल 2.17 बीघा भूमि के भू भाग को विपक्षीगण के खाते से हटाया जाकर भूमि पुनः मंदिर/मूर्ति शीतलामाताजी स्थानदेह के नाम अभिलिखित कराने हेतु विपक्षीगण के खाते से हटाया जाकर शीतलामाताजी स्थानदेह के नाम दर्ज कराया जावे। अधीनस्थ न्यायालय तहसीदार माण्डलगढ को भी आदेश की प्रति सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 04.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/06/18

(एल.आर. गुगरवाल)
अति0 जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)